RISING RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. **11 / 2026** **GCMS NO 2026/188**

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–
श्री राउराम / मोटाराम जाट ग्राम रतेउ, तहसील गिड़ा हाल प्रो महादेव भोजनालय, पादरू फांटा, बालोतरा रोड़ असाड़ा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं बावजुद सूचना उपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 20.05.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 20.02.2026 को श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स महादेव भोजनालय, पादरू फांटा, बालोतरा रोड़ असाड़ा पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री राउराम पुत्र मोटाराम उपस्थित मिले। मौके पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर व्यावसायिक प्रयोग करते वक्त जांच पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	1368105	HP	23.9	15.6	3.1
2.	076171	HP	15.8	15.6	4.5

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर द्वारा व्यवसायिक दुरूपयोग करने पर मौक पर उक्त को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स मधुबन गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री रहीमखा पुत्र वली खां को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस

जिला कलक्टर
बालोतरा

सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. अप्रार्थी स्वयं दौराने बहस कथन किया कि मेरे नाम से गैस कनेक्शन लिया हुआ है। मेरे घर के पास ही मेरी होटल है। होटल में व्यावसायिक सिलेण्डर गैस खत्म होने पर भूलवश घरेल सिलेण्डर का प्रयोग किया गया था। भवष्यि में घरेलु सिलेण्डर का उपयोग नहीं किया जाऐगा। अतः जब्त सुदा सिलेण्डर पुनः मुझ प्रार्थी को दिलोने का आदेश फरमावे।

5. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लिये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स मधुबन गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री रहीमखा पुत्र वली खां को सुपुर्दगी पर दिये गये है। है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) *"द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, जिसके लिए उपभोक्ता किसी सरकारी तेल कंपनी के वितरक के पास पंजीकृत है"* का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर(जो व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था) मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा घरेलु सिलेण्डर जो व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो अप्रार्थी द्वारा आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) का उल्लंघन मे

न्यायालय जिला कलक्टर बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

पाये गये 2 गैस सिलेण्डर राजसात किया जाए। 2 घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

7. आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा